Details of Case Registered In P.S. Farakpur

- 561. Sh. Bishan Lal Saini, M.L.A.: Will the Home Minister be pleased to state:
- a) whether it is a fact that a case No. 164 was registered in P.S. Farakpur (Yamunanagar) on dated 05.08.2021; and
- b) if so, the details of the action taken by the Government against the culprits so far?

Home Minister, Haryana.

Reply:-

- a) Yes, Sir.
- Singh resident of Police Station Farakpur, district Yamunanagar wherein he alleged that he had given Rs. 2600/- to accused Sanjeev Sharma for the purchase of good quality bricks. On confronting him for supplying poor quality bricks instead, the accused Sanjeev Sharma and his brother Ashwani attacked him and abused him for his caste. The case have been investigated by two DSPs. The IO visited the spot and recorded the statements of complainant and eye-witness Nitin Sharma. Account of incident given by eye-witness is inconsistent. Notices were issued to the accused persons for joining investigation that they have not honoured. The case is under investigation. Coercive measures will be taken if accused persons continue to evade investigation.

थाना फरकपुर में दर्ज अभियोग का विस्तृत विवरण

- 561. श्री बिशन लाल सैनी, विधायक: क्या माननीय गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि:-
 - (क) क्या यह सच है कि अभियोग संख्या 164 थाना फरकपुर (यमुनानगर) में दिनांक 05.08.2021 में दर्ज किया गया था, और
 - (ख) यदि हाँ, सरकार द्वारा अब तक दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण?

गृह मंत्री हरियाणा

उत्तर:-

- (क) हाँ, महोद्य।
- (ख) अभियोग श्री सुखदेव सिंह पुत्र तरसेम सिंह वासी थाना फरकपुर, जिला यमुनानगर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसने आरोपी संजीव शर्मा को 2600 / —रूपये अच्छी गुणवत्ता की ईंटें खरीदने के लिए दिये थे। इसके बदले घटिया ईंटों की आपूर्ति करने पर जब एतराज किया तो आरोपी संजीव शर्मा और उसके भाई अश्वनी ने उस पर हमला किया और जाति सूचक गालियां दी। अभियोग का अनुसंधान दो उप पुलिस अधीक्षको द्वारा किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया व मौके के गवाह नितिन शर्मा के कथन अंकित किये। मौके के गवाह द्वारा दी गई घटना का विवरण असंगत है। आरोपी व्यक्तियों को अनुसंधान में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किये गये थे, लेकिन उन्होने उसकी पालना नहीं की। अभियोग अनुसंधानाधीन है। यदि आरोपी व्यक्ति अनुसंधान से बचना जारी रखता है तो दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।